

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

विशेष पदाधिकारी,
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।

राँची, दिनांक...25/04/17

प्रसंग :- आपका पत्रांक-356, दिनांक-08.03.2017

विषय :- श्रीमती गीता रानी कुंडू, श्री रतन गौड़, श्री प्रदीप गौड़, श्री सुदामा गोप, श्री आशोक गोप, श्री कृष्ण गौड़, श्री सूरज गौड़ द्वारा वार्ड नं०-10, खाता सं०-86, प्लॉट-3163, खाता सं०-582, प्लॉट-3162(E) खाता सं०-583, प्लॉट-3148/4333, मौजा-मानगो, जमशेदपुर के भवन निर्माण में अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।

महाशय,


प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होने वाले प्रस्तावित भवन के लिये अग्नि सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :-

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 ली० क्षमता का एक अदद अण्डरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. प्रस्तावित भवन के उपर 20,000 ली० क्षमता का एक अदद ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
4. प्रस्तावित भवन के लिए 1650 ली०/मि० क्षमता का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जो पूरे सिस्टम में जलापूर्ति करने में सक्षम हो।
5. प्रस्तावित भवन के लिए समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्प की व्यवस्था रखी जाय।
6. प्रस्तावित भवन के उपर 900 ली०/मि० क्षमता का एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
7. प्रस्तावित भवन के सीढ़ियों को Enclose staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
8. प्रस्तावित भवन के विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जायें।
9. N.B.C के अनुसार भवन के सामने वाले भाग में चौड़ी ठोस एवं खुली जगह हमेशा उपलब्ध रखी जाय।
10. भवन के किसी भी बालकोनी को ग्रील लगाकर पूर्णतः अवरुद्ध नहीं किया जाय।
11. भवन में निर्मित किये जाने वाले किचन एवं बालकोनी को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट के लिए एक की दर से 06 के०जी० क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
13. प्रस्तावित भवन के सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender को Movement होने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

14. प्रस्तावित भवन के किसी भी दुकान में विस्फोटक पदार्थ अथवा अत्यंत ज्वलनशील प्रकृति के सामग्रियों का भण्डारण अथवा बिक्री नहीं की जायेगी।
15. प्रस्तावित भवन में फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 के0जी0 से कम न हो।
16. बेसमेंट से जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखी जाय।
17. बेसमेंट में Transformer, Boiler, Pressurized Cylinder, Generator, A.C न रखे जायें।
18. भवन के बेसमेंट वाले भाग में समुचित Ventilation की व्यवस्था रखी जाय ताकि प्रति घंटा कम से कम 12 से 15 एयर चेंज होता रह सके एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चेंज तक बढ़ाया जा सके।
19. लिफ्ट में ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि उपरी तलों से लिफ्ट से आने पर सतही तल पर रुकने के बाद ही बेसमेंट में जा सके।
20. भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
21. Front Setback Area इस प्रकार खुला एवं चौरस रखने की व्यवस्था की जाय कि सामने का कम से कम 12 मीटर चौड़ी, समतल एवं ठोस जगह अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु हमेशा उपलब्ध रह सके।
22. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard and Soft copy) में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लें साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का अक्षरतः अनुपालन कर लिया गया है।
23. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच संबंधित भवन प्राधिकार के माध्यम से झारखण्ड अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
24. प्रस्तावित भवन निर्माण के किसी भी भाग में यदि बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।
25. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जायेगा।
26. प्लान की एक सेट प्रति सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,


25.04.17
(राम कृष्ण ठाकुर)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।